न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 01 / 2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
1– प्रहलादलाल शर्मा पुत्र भागीरथमल जाति ब्राह्मण निवासी कालवा तहसील मकराना, जिला नागौर हाल निवासी नया बास, बालसमंद जोधपुर। 2– श्रीमती शांतिदेवी पत्नी प्रहलादराम जाति ब्राह्मण निवासी कालवा तहसील मकराना, जिला नागौर हाल निवासी नया बास, बालसमंद जोधपुर।		1–रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव बडू तहसील परबतसर, जिला नागौर हाल नया बास, बालसमंद, जोधपुर। 2–पंकज पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गांव बडू तहसील परबतसर, जिला नागौर हाल नया बास,बालसमंद जोधपुर। 3–श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी गांव बडू तहसील परबतसर जिला नागौर हाल नया बास, बालसमद जोधपुर 4–श्रीमती उर्मिला पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गांव बडू तहसील परबतसर जिला नागौर हाल नया बास, बालसमद जोधपुर।।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 92 / 2022 प्रहलादलाल बनाम रामनिवास में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीगण स्वयं।
2– प्रत्यर्थीपक्ष 2 स्वयं।
3– प्रत्यर्थीपक्ष 1,3 व 4 अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 16.01.2023

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्राथीगर्ण प्रहलादलाल शर्मा व श्रीमती शांतिदेवी ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् अपीलार्थीयां/प्रार्थीया शांतिदेवी के नाम से खरीदसुदा मकान संख्या 192, वाके नया बास, बालसमंद जोधपुर आया हुआ है तथा प्रेमलता (प्रत्यर्थी/अप्रार्थी–3) व श्रीमती उर्मिला (प्रत्यर्थी–4) ने साजिश कर मकान सं0 192 में जबरन कब्जा कर रहने लग गये तथा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के मकान सं0 192 से प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को बेदखल करने का पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रकरण में पारिवारिक सम्पति के विवाद का निपटारा उपखण्ड अधिकरण द्वारा नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, बताते हुए अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (01/2022) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष–2 अजखुद उपस्थित हुआ तथा रेस्पो. संख्या 1, 2, 3 के नोटिस बाद तामील बावजूद अनुपस्थित रहे। रेस्पो. सं0 2 की ओर से जबाब पेश हुआ तथा जबाब के तथ्य को बहस मानी जाने का आग्रह किया गया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस पेश हुई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि प्रहलादलाल व उसकी धर्मपत्नी श्रीमती शांतिदेवी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने स्वामित्व, कब्जा, पंजीकृत दस्तावेज से खरीद व उस पर निर्माण के मकान को खाली करवाने हेतु शिकायत प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2022 को कानूनन के विपरीत जाकर प्रकरण को पारिवारिक सम्पति का विवाद होने का कहकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। बहस में आगे कहा कि अपीलांट एवं उसकी पत्नी दोनों वृद्ध सीनियर सिटीजन है जिनके द्वारा भूखण्ड सं0 192 व भूखण्ड संख्या 201, नया बास, बालसमंद जोधपुर स्थित को प्रार्थी प्रहलादलाल ने अपनी पत्नी शांतिदेवी के नाम से वर्ष 2010 में खरीद किया गया तथा वर्ष 2014–15 मे बैंक से ऋण लेकर उस पर निर्माण किया गया तथा बिजली पानी के संबंध लिये गये। बहस में यह भी बतलाया कि म.नं. 201 अपने पुत्र पवन के निवास के लिए तैयार करवाया तथा दूसरा मकान सं0 192 अशोक के लिए तैयार करवाया जिसमें उनका सामान कम्यूटर, पानी की टंकियें, फर्नीचर, पलंग, प्रिन्टर व अन्य घरेलू सामान रखा हुआ था। बहस में यह भी बतलाया कि अपीलांट ने अपनी संपति का विधिक रूप से बंटवारा नहीं किया तथा इसी दरम्यान अपीलार्थी की पुत्री उर्मिला के पति का स्वर्गवास हो जाने से व उसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं होने से मकान संख्या 201 में रहने के लिए दे दिया, परन्तु थोड़े समय पश्चात्

अप्रार्थीगण के द्वारा षड़यंत्रपूर्वक अपीलांट की वृद्धावस्था का व नाजायज तरीके से मकान संख्या 192 में उसके पुत्र को निकाल कर कब्जा करके बैठ गये तथा इसके साथ में उर्मिला की बहन श्रीमती प्रेमलता व उसके परिवार के सदस्य भी आकर रहने शुरू हो गये। मकान संख्या 201 का किराया 4000/–रूपये प्रतिमाह देना तय हुआ परन्तु अपीलांट की पुत्री होने से उससे कोई किराया नहीं लेते थे और अपनी पुत्री व दोहिते के रहने के लिए मकान दे दिया है। 06–07 वर्षो के बाद में दोनों बहिनों ने षड़यंत्रपूर्वक मकान संख्या 201 में रहना बद कर मकान संख्या 192 में रहना शुरू कर दिया। बहस में आगे कहा कि दिनांक 10.08.2019 को रात्रि के 12 बजे अप्रार्थीगण सभी एक राय होकर अपीलांट के पुत्र के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो गये जिस पर अपीलांट ने अपनी पुत्री को मकान संख्या जिस पर अनाधिकृत रूप से अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है उसे खाली करने के लिए कहा गया लेकिन अप्रार्थीगण ने अपीलांट की एक भी नहीं सुनी और दिनांक 22.10.2020 को अपीलांट अपने पौत्र जानू उर्फ आयरन व अपने पुत्र पवन के साथ अपने घर का बिजली मीटर के रीडिंग देखने के लिए गया तब भी अप्रार्थीगण ने अपीलांट व उसके पुत्र व पौत्र के साथ गाली गलौच करना शुरू कर दिया जिस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

बहस में यह भी कहा कि अपीलांट के द्वारा अपनी दोनों पुत्रि.यों को नाजायज प्रकार से मकान पर कब्जा किये जाने व समझाने के लिए काफी प्रयास किये लेकिन अप्रार्थीगण को समझाईश किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अपीलांट की एक नहीं सुनी। अपीलांट अपने खरीदसुदा व अपने द्वारा निर्माण करवाये गये मकान को अपनी पुत्रियों से खाली करवाना चाहता है तथा इसके लिए उन्होने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संयुक्त सम्पति या पारिवारिक सम्पति न होते हुए गलत दिशा में जाकर अपीलांट के स्वयं के खरीदसुदा होते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया। अपीलांट की पुत्री प्रेमलता के द्वारा ही माननीय सिविल न्यायाधीश एवं क.ख कोर्ट सं0 01, जोधपुर महानगर के न्यायालय में एक सिविल वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो वर्ष 2022 से विचाराधीन है, आज दिन तक सिविल कोर्ट के द्वारा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया है तथा उक्त मकान में अपीलांट के द्वारा अपने विद्युत सम्बंध को भी बंद करवा दिया है।

बहस के अन्त में अपीलांट के भूखण्ड संख्या 192 पर प्रत्यर्थीगण के द्वारा नाजायज प्रकार से कब्जा करके अनाधिकृत रूप से दबा रखा है तथा साजिशपूर्वक तरीके से कब्जा करके बैठे रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें बेदखल किया जाकर अपीलांट को रेस्पोडेन्ट से क़ब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी–2 पंकज की ओर से दिनांक 28.09.2022 को जबाब पेश हुआ जिसमें बतलाया कि अपीलाधीन भूखण्ड संख्या 192 का पश्चिमी हिस्सा बनाप 22X55 ग्राम मण्डोर प्रथम के ख.नं. 1581 व 1582 की महादेव नगर योजना में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड 192 को जरिये बेचान इकरारनामा दिनांक 01.10.2004 को रेस्पो. सं0–3 श्रीमती प्रेमलता ने रमेश कानूनगो, दिलीप सुराणा, दिनेश

लगातार...

झंवर, मूलसिंह चौधरी से बेएवज रूपये 38000/– में खरीद किया जिसका भुगतान श्रीमती प्रेमलता ने जरिये चैक सं0 365265 राशि 10000/– दिनांक 04.06.2004, चैक सं0 366569 राशि 28000/– दिनांक 07.09.2004 अदा किये गये तथा रमेश कानूगो वगैरा ने प्रेमलता शर्मा के हक में बकायदा क बेचान ईकरारनामा दिनांक 01.10.2004 को निस्पादित कर नोटेरी पब्लिक जोधपुर से तस्दीक करवाया तथा उस दौरान प्रेमलता अपने पति के साथ कलकाता शहर में निवास करती थी इसलिए सुविधा की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का बेचाननामा प्रेमलता शर्मा के पक्ष में निष्पादित करवाने हेतु प्रेमलता के पिता ने अपनी पुत्री से कहकर एक आममुखत्यारनामा भी रमेश कानूगो वगैरा से निस्पादित करवा कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया। प्रेमलता अपने पति के साथ कलकता में रही, प्रेमलता की छोटी बहिन उर्मिला जो कि प्रेमलता की देवरानी भी है, के पति का अकस्मात निधन हो गया, प्रेमलता ने जोधपुर आकर अपने पिता को उक्त भूखण्ड का बेचाननामा अपने पक्ष में निष्पादित करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रेमलता के पिता द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही बेचाननामा तुम्हारे पक्ष में निष्पादित करवा दूंगा। प्रहलादलाल प्रेमलता के पिता है इसलिए अविश्वास करने जैसी बात सोची ही नहीं और प्रेमलता ने उपरोक्त भूखण्ड पर वर्ष 2014–2015 में रहवासीय ठांव बनाये तथा अपनी छोटी बहिन उर्मिला के साथ निवास प्रारम्भ किया एवं वर्तमान समय में भी प्रेमलता का उपरोक्त जायदाद पर कब्जा व रहवास है।

जबाब में आगे कहा कि प्रहलादलाल ने पिता–पुत्री के विश्वास को तार–तार करते हुए अपने पास रखे आममुखत्यारनामा का दुरूपयोग करते हुए प्रेमलता के खरीद सुदा भूखण्ड का बेचाननामा फर्जी तरीके से अपनी पत्नी व प्रेमलता की माता श्रीमती शांतिदेवी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। जबाब में यह भी कहा कि यहां पर यह लिखना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा कि प्रेमलता एवं उसकी बहिन उर्मिला की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम कजाणा के ख.नं. 65,66 व 68 ग्राम कालवा के ख.नं. 45 व 54 का भी फर्जी तरीके से अपने पुत्र बधुओं के पक्ष में दानपत्र विलेख निष्पादित कर प्रेमलता एवं उनकी विधवा पुत्री उर्मिला को उनकी सम्पति से बेदखल करने के प्रयास किये गये। जबाब में यह भी कहा कि अपीलांट सं0 1 द्वारा अपीलांट स0–2 के पक्ष में फर्जी तरीके से बेचाननामा की जानकारी होते ही प्रेमलता द्वारा फौजदारी मुकदमा 536/21 पुलिस थाना उदयमंदिर में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 471, 120B IPC दर्ज करवाया जो वर्तमान में जैर अनुसंधान है तथा प्रेमलता द्वारा एक सिविल वाद प्रेमलता के पक्ष में निष्पादित बेचान ईकरारनामा दिनांक 01.10.2004 की पालना करवाए जाने हेतु एवं अपीलांट संख्या–2 के पक्ष में फर्जी तरीके से निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करवाने हेतु दीवानी मूल वाद संख्या 576/2021 न्यायालय श्री AJM No. 1 जोधपुर महानगर में पेश किया गया जो विचाराधीन है तथा उक्त वाद मे रमेश कानूगो वगैरा जो इस जायदाद के मालिक थे जिन्होने जवाब में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि भूखण्ड संख्या 192 का पश्चिमी हिस्सा प्रेमलता द्वारा ही खरीद किया गया तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्रेमलता द्वारा ही अदा की गई तथा प्रेमलता की सहमति से ही उक्त भूखण्ड का बेचाननामा अपने पक्ष में निष्पादित करवाने हेतु, अपने पिता के पक्ष में

आममुखत्यारनामा निष्पादित किया। प्रहलादलाल द्वारा आममुखत्यारनामा का दुरूपयोग कर अपनी पत्नी के पक्ष में कोई बेचाननामा निष्पादित करवाया है, वो सरासर गलत है। जबाब के अन्त में फर्जी तरीके से निष्पादित किये गये बेचाननामा की रूह में इस अधिनियम द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता, भूखण्ड का सामित्व विवादित है जो सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जायेगा जिस हेतु वाद विचाराधीन है तथा अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत जबाब के अनुसार अपीलांट सं0 1 द्वारा अपीलांट स0–2 के पक्ष में फर्जी तरीके से बेचाननामा की जानकारी होते ही प्रेमलता द्वारा फौजदारी मुकदमा 536/21 पुलिस थाना उदयमंदिर में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 471, 120B IPC दर्ज करवाया जो वर्तमान में जैर अनुसंधान है तथा प्रेमलता द्वारा एक सिविल वाद प्रेमलता के पक्ष में निष्पादित बेचान ईकरारनामा दिनांक 01.10.2004 की पालना करवाए जाने हेतु एवं अपीलांट संख्या–2 के पक्ष में फर्जी तरीके से निष्पादित विकय विलेख को निरस्त करवाने हेतु दीवानी मूल वाद संख्या 576/2021 न्यायालय श्री AJM No. 1 जोधपुर महानगर में पेश किया गया जो विचाराधीन है तथा सिविल वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने बाबत् अपीलार्थीपक्ष की स्वीकारोक्ति है अतः अपीलार्थीपक्ष जिस सम्पति को स्वअर्जित आय से कय करना बताते हुए अपना सिविल अधिकार प्राप्त होना बताते है, उस सम्पति बाबत् उभयपक्षकारान में सिविल अधिकारों को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन हो रखा है ऐसी स्थिति में माता–पितां एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी प्रकार से अनुतोष प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, वो हस्तक्षेप योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ पुनः अधीनस्थ अधिकरण को प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।